महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / कु.स.का. / 2026 / 741 दिनांक : 09.04.2026

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष,
   विश्वविद्यालय परिसर।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
   एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
3. प्राचार्य / प्राचार्या,
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
   एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

विषयः— प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार—प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0), प्रयागराज के पत्र संख्या—डिग्री विकास / 2025—26 दिनांक 19.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक संख्या—भ0स0—8 / सत्तर—3—2026—1953159 दिनांक 12 मार्च, 2026 के माध्यम से संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 39—1 / 2025—CSIS-Part (1)(ii) दिनांक 29.01.2026 संलग्न कर प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार—प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि संलग्न पत्र में प्रदान किये गये दिशा—निर्देश के क्रम में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का प्रचार—प्रसार एवं क्रियान्वयन की कार्यवाही किये जाने के साथ ही कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

Harish

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. शिक्षा निदेशक (उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज।
2. उप कुलसचिव, (शैक्षणिक / परीक्षा / सम्बद्धता) / सहायक कुलसचिव।
3. निजी सचिव, कुलपति।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
5. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

उप कुलसचिव

प्रेषक,

ई – मेल/तत्काल

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ /2025 – 26 दिनांक – 19/03/2026

विषय – प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार – प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या भ0स0 – 8/सत्तर – 3 – 2026 – 1953159 दिनांक 12 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार – प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में शासन के पत्र के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2026 में दिये गये निर्देश के क्रम में कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई – मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को समयान्तर्गत उक्त सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 3180 – 82 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों से सूचना संकलित कर समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
SHASHI KAPOOR
Date: 18-03-2026
19:14:15

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण

संख्या-भ0स0-8/सत्तर-3-2026- 1953159

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2 कुल सचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 12 मार्च, 2026

विषय:- प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ,भारत सरकार के पत्र संख्या -39-1/ 2025-CSIS-Part(1) (ii) ,दिनांक 29 जनवरी, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश दिये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को समयान्तर्गत अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
SHAKIL AHMAD SIDDIQUI
Date: 11-03-2026

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

डिप्टी विकास
13/3/26
डॉ0 (बी0एल0शर्मा)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0
प्रयागराज
15

1311

Scanned with OKEN Scanner

सं०-म०स०-08 / सतरह-3-2026

पी. के. बनर्जी
संयुक्त सचिव

P.K. Banerjee
Joint Secretary
Tel: 011-23383432
Email: pk.banerjee@nic.in

No. 5056 /MS/GI/2026

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या 578
दिनांक 09.02.2026

D.O. No. 39-1/2025-CSIS-Part(1)(ii)

Dated 29th January, 2026

Respected Sir/ Madam,

I am writing to you regarding dissemination of information on the Government of India scheme for financial assistance to meritorious students, namely the Pradhan Mantri Vidyalaxmi Scheme, which provides collateral-free and guarantor-free education loans, along with a 3% interest subvention on loans up to ₹10 lakhs for students with an annual family income of up to ₹8 lakhs.

2. Reference is invited to this Department's earlier D.O. letter No. 39-2/2025-CSIS-Part(1)(ii) dated 15.07.2025 (copy enclosed), wherein the need to create awareness about education loan and interest subvention schemes was highlighted. While the PM-Vidyalaxmi Scheme offers an easily accissible and student-friendly online platform for availaing collateral-free and guarantor-free education loans, its awareness and utilisation are still below the desired level.

3. In this context, State Governments can play a key role in ensuring last-mile outreach. It is therefore requested that the action taken on the earlier communication may kindly be reviewed and further steps be taken to strengthen awareness of the PM-Vidyalaxmi Scheme at the State and district levels, using existing platforms such as State Education Departments, Universities, Colleges, Schools and skill institutions, in coordination with State Level Bankers Committees and District Level Coordination Committees.

4. These efforts will help improve awareness and ensure that meritorious students are able to access financial support for pursuing higher education in a timely manner.

2960/S(RT)/26
V.S.

With regards,

Encl: a/a

10.02.26.
(अमृत त्रिपाठी)
सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

06/02/2026
(... कुमार)
विशेष सचिव एवं स्टॉफ अधिकारी,
मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

Yours sincerely,
पी.के.बनर्जी

(P.K. Banerjee)

To:

The Chief Secretaries of all States/UTs (as per list)

7534/VS(T)/26
JS

(अमिर लाल)
निजी सचिव
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ० शासन

उच्च शिक्षा अनु०-3
11/02/2026

12.02.2026

Scanned with OKEN Scanner

डॉ. विनीत जोशी, भा.प्र.से.
सचिव
Dr. VINEET JOSHI, IAS
Secretary
Tel: 011-23386451 23382696
E-mail: secy.dhe@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
शिक्षा मंत्रालय
Ministry of Education
उच्चतर शिक्षा विभाग
Department of Higher Education
127 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
127 'C' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001

D.O. No. 39-2/2025-CSIS-Part(1)(ii)

Dated: 15th July, 2025

Dear Ma'am/Sir,

I am pleased to inform you that the Government of India has launched a new central sector scheme "PM-Vidyalaxmi" to provide collateral-free and guarantor-free education loans to students admitted to top-quality higher education institutions, with a 3% interest subvention for loan upto Rs 10 lakhs with annual family income up to ₹8 lakh. Another central sector scheme "PM-USP CSIS" provides full interest subsidy during the moratorium period on education loans upto 10 lakhs for students with annual family income up to ₹4.5 lakh, pursuing professional or technical courses in India from specific institutions. Additionally, under the **Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFSEL)**, the Government provides up to 75% guarantee cover on education loans up to ₹7.5 lakh, without the need for collateral or third-party guarantee. **Applications for these schemes may be submitted online at https://pmvidyalaxmi.co.in.** The detailed guidelines are available at https://www.education.gov.in/en/scholarships-education-loan-4.

2. In this context, you would appreciate that awareness of education loan and interest subvention schemes is vital to broaden their reach and promote effective utilization. It would be very helpful if you can arrange to instruct the State Level Bankers Committee (SLBC) and corresponding **District Level Consultative Committees (DLCCs)** to proactively disseminate information on these education loan and interest subvention schemes through local platforms—including State Education Boards, schools, Banks, and Regional Rural Banks (RRBs)—to raise public awareness and support effective implementation. Multi-lingual pamphlets regarding this are available in the PM Vidyalaxmi portal for immediate use.

With regards,

Yours sincerely,

15/7/25

(Dr. Vineet Joshi)

To:

The Chief Secretaries of all States/UTs (as per list)

Scanned with OKEN Scanner